निर्णय : ग्रामीण विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को समय से पूरा कराने की कवायद

ग्रामीण योजनाओं से जुड़ेंगे विकास मित्र

राज्य ब्यूरो, पटना : ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने की जिम्मेदारी अब गांवों में काम करने वाले विकास मित्रों को दी जा रही है। खासकर वैसी योजनाओं को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी, जिससे सीधे तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास जुड़ा है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग और अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के सचिवों ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) और उप विकास आयुक्तों (डीडीसी) को पत्र लिखकर ऐसी योजनाओं से विकास मित्रों को जोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। इनमें इंदिरा आवास, सामाजिक वानिकी मनरेगा और जीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन की जिम्मेदारियां शामिल हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रदीप कुमार और अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के सचिव एसएम राजू ने सभी डीएम और डीडीसी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि राज्य में 12.42 लाख इंदिरा आवास अपूर्णता की स्थिति में हैं। इस योजना का 60 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कर्णांकित है, लेकिन लाभुकों में जानकारी का अभाव होने के कारण वे या तो बिचौलियों और दलालों के चंगुल में पड़ जाते हैं या फिर योजना की राशि प्राप्त करने के बाद भी अपना आवास पूर्ण रूप से नहीं बनवा पाते। अब गांवों में काम करने वाले विकास मित्र उन्हें राशि के सही इस्तेमाल की जानकारी देंगे, क्योंकि इंदिरा आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि एक ही बार देय है।

सामाजिक वानिकी मनरेगा योजना में भी विकास मित्रों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में वन पोषकों को चिह्नित करेंगे तथा उन्हें उनके कर्तव्यों एवं हकदारी के बारे में संवेदनशील बनाएंगे। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उनके समक्ष उपलब्ध विकल्पों तथा उनकी परिस्थिति के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने तथा वित्त पोषण में मदद करेंगे।

दोनों विभागों का तर्क यह है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से इन परिवारों को लाभान्वित कराने के लिए ही इन वर्गों के बीच के सदस्यों को ही विकास मित्र बनाया गया है। उनकी सक्रियता से इन वर्गों के लाभुकों को योजना का सही लाभ मिल सकेगा।